<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः – 81 / 08</u> <u>संस्थापन दिनांकः – 20 / 02 / 08</u> <u>फाईलिंग नं. 233504000122008</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बोरदेही, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... अभियोजन

वि रू द्ध

- 1. सूर्यभान पिता जगन्नाथ ठाकरे, उम्र 26 वर्ष,
- 2. गोलू उर्फ चंद्रभान पिता जगन्नाथ, उम्र 23 वर्ष
- 3. पंढरी पिता जगन्नाथ, उम्र 35 वर्ष
- 4. निलेश पिता जगन्नाथ, उम्र 20 वर्ष
- 5. अंकित उर्फ अंकुश पिता पंजाबराव, उम्र 23 वर्ष
- 6. दिनेश पिता जगन्नाथ ठाकरे, उम्र 19 वर्ष सभी निवासी बम्हनी, थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 12.09.2017 को घोषित)

प्रकरण में अभियुक्तगण सूर्यभान, पंढरी, चंद्रभान, नीलेश, दिनेश एवं अंकित उर्फ अंकुश के विरुद्ध धारा 147, 456 भा.दं.सं. के अंतर्गत अस आशय के आरोप है कि उन्होंने 20.01.2008 को ग्राम बम्हनी में सार्वजनिक स्थल पर सामान्य उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर तद् द्वारा बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया एवं फरियादी संजय के आवासीय मकान में प्रवेश कर कारावास से दंडनीय अपराध कारित कर रात्रोप्रछन्न गृह अतिचार कारित किया तथा अभियुक्त अंकित उर्फ अंकुश के विरुद्ध धारा 323, 325, 506 भाग—दो भा.दं. सं. के अधीन इस आशय के आरोप है कि उसने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी संजय, संगीता, संगीता के साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया एवं आहत सितोबा की मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की तथा संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी संजय, सितोबा, संगीता व संगीता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त गोलू उर्फ देवेंद्र को न्यायालय के आदेश दिनांक 10.08.2017 को फरार घोषित किया गया है। यह निर्णय केवल अभियुक्तगण सूर्यभान, गोलू उर्फ चंद्रभान, पंढरी, निलेश, दिनेश एवं अंकित उर्फ अंकुश के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.01.2008 को फरियादी संजय ने थाना मुलताई आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि सुबह नहर के पानी घुमाने पर से उसका झगड़ा हुआ था जिसकी रिपोर्अ उसने थाना बोरदेही में किया था। इसी बात पर से रात करीब साड़े बारह बजे अभियुक्त गोलू आया और उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो उसके पिताजी उठे और अभियुक्त ने दरवाजे पर लात मारकर घर के अंदर घुस गया। जब उसके पिताजी ने बाहर निकलकर देखा तो अभियुक्त गोलू, पंढरी, सूर्यभान, निलेश ने मारपीट करना शुरू कर दिया। हल्ला होने पर बीच बचाव करने वह तथा संगीता, गुड़डी गये तो सभी ने उनके साथ लठ से मारपीट किये जिससे उसके पिता को सिर, दांहिने हाथ, जांघ, कमर में चोट आयी।
- 4 फरियादी की उक्त रिपोर्ट को थाना मुलताई में रोजनामचा सान्हा क. 1105 में दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाना बोरदेही भेजा गया। पुलिस थाना बोरदेही में अभियुक्तगण गोलू, पंढरी, सूर्यभान, नीलेश के विरुद्ध अपराध क. 29/08 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त गोलू उर्फ चंद्रभान एवं सूर्यभान से एक—एक बांस की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। आहत सितोबा की एक्सरे रिपोर्ट में अस्थिभंग पाया जाने से अभियोग पत्र में धारा 325 भा.दं.सं. तथा अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर मारपीट किये जाने से धारा 456, 506 भा.दं.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 5 प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि फरियादीगण का अभियुक्तगण सूर्यभान, पंढरी, चंद्रभान, नीलेश एवं दिनेश से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को धारा 323/149, 325/34, 506 भाग—दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे धारा 147, 456 भा0दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण सूर्यभान, पंढरी, चंद्रभान, नीलेश एवं दिनेश का विचारण किया गया।
- 6 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

7 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने अपराध कारित करने के सामान्य उद्देश्य से एकत्रित होकर विधिविरुद्ध जमाव किया था?
- 2. क्या ऐसे जमाव के किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया गया था ?
- 3. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी संजय के घर में उसकी अनुमति के बिना प्रवेश किया था ?
- 4. क्या अभियुक्तगण ने उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् किया ?
- 5. क्या घटना के समय अभियुक्त अंकुश ने आहतगण संजय, संगीता एवं संगीता पति सुनील के साथ मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की थी ?
- 6. क्या घटना के समय अभियुक्त अंकुश ने आहत सितोबा के साथ मारपीट कर उसे घोर उपहति कारित की थी ?
- 7. क्या अभियुक्त अंकुश ने ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छा किया गया था ?
- 8. क्या अभियुक्त अकुंश ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी थी ?
- 9. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 लगायत 07 का निराकरण

- 8 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित क्रम बंधन व सम्यक विवेचना करने एवं साक्ष्य विवेचना की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से उपर्युक्त विचारणीय बिंदुओं का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 9 सितोबा (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना उसके घर की रात्रि 12.30 बजे की हैं घटना के समय अभियुक्तगण घर आये और

दरवाजे को जोर—जोर से लात मारकर तोड़ दिया। हाथों में तलवार, गुप्ती लाठी लेकर घर के अंदर घुस गये और मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट से उसकी कमर में फेक्चर हो गया था। अभियुक्तगण ने उसकी बहू संगीता, बेटी संगीता एवं बेटे संजय के साथ भी मारपीट किया था। संगीता (अ.सा.—2), संगीता (अ.सा.—3) एवं फूलीबाई (अ.सा.—4) तथा लताबाई (अ.सा.—6) ने मुख्य परीक्षण में फरियादी सितोबा के कथनों का समर्थन कर यह बताया है कि रात्रि 11—12 बजे अभियुक्तगण घर के सामने आये, दरवाजे को लात मारकर दरवाजे की साकल तोड़ दिये। अभियुक्तगण के हाथ में तलवार, लाठी, गुप्ती जैसे हथियार थे। सबसे पहले सितोबा के साथ मारपीट की थी इसके बाद उसके पति, ननंद और उसकी मारपीट की थी। साक्षी संगीता (अ.सा.—2) ने बताया है कि मारपीट से उसकी कमर की हड्डी टूट गयी थी। फूलीबाई (अ.सा.—4) ने यह भी बताया है कि उसके पति सितोबा के सिर में 10—12 टांके आये थे।

- 10 संजय (अ.सा.—8) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना रात्रि 10.30—11 बजे की है। अभियुक्तगण ने दरवाजे को लात मारा तब पिताजी ने दरवाजा खोला तो सभी अभियुक्तगण ने उसके पिता के उपर हमला कर दिया और जब वह बचाने के लिए गया तो उसके साथ भी लाठी और तलवार से मारा। उसकी पत्नी संगीता और बहन संगीता के साथ भी मारपीट की थी।
- 11 डॉ. डी.के. उज्जैनिया (अ.सा.—14) ने दिनांक 21.01.2008 को स्वास्थ्य केंद्र मुलताई में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत सितोबा का चिकित्सकीय परीक्षण किये जाने पर आहत के सिर के पैराईटल रिजन पर 3 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव, दांहिने हाथ की कोहनी पर बाहरी तरफ 5 गुणा 2 गुणा 2 सेमी. आकार का कंटूजन, बांये कूल्हे पर 8 गुणा 4 सेमी. आकार का कंटूजन लालिमा लिए पाया था। आहत संगीता का चिकित्सकीय परीक्षण किये जाने पर आहत बांये तरफ कूल्हे पर दर्द की शिकायत बता रही थी। आहत संजय का चिकित्सकीय परीक्षण किये जाने पर आहत के बांये हाथ की कोहनी के नीचे बाहरी साईड में दर्द एवं सूजन पायी थी तथा आहत संगीता पिता सितोबा का चिकित्सकीय परीक्षण किये जाने पर आहत के वांये हाथ पर धारा गुणा 1/4 सेमी. आकार का छिला हुआ घाव था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी—16 लगायत प्रदर्श पी—17 को प्रमाणित किया है।
- 12 डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.—13) ने उसके न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 24.01.08 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत सितोबा को पुरूष सर्जिकल वार्ड से डॉक्टर एन.डी. चौरिसया के द्वारा बांये कुल्हे के एक्सरे के लिए भेजे जाने पर आहत की प्लेट क. 6559 में बांयी प्यूबिक हड्डी टूटी हुई एवं प्यूबिक प्यूबिक सिम्फाईसिस जोड़ जगह से हट गया था। साथ ही साक्षी ने दिनांक 22.01.08 को आहत के सिर व दांयी

भुजा का एक्सरे किया जाना जिसका प्लेट क. 6508 में कोई अस्थि भंग नहीं पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी—15 एवं प्रदर्श पी—16 को प्रमाणित किया है।

- 13 मदन पवार (अ.सा.—10) ने दिनांक 27.01.2008 को पुलिस थाना बोरदेही में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क. 29/08 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी—3) एवं दिनांक 02.02.08 को अभियुक्त गोलू उर्फ चंद्रभान एवं सूर्यभान से एक—एक बांस की लकड़ी जप्त कर प्रदर्श पी—5 एवं प्रदर्श पी—6 के जप्ती पकत्र एवं उक्त दिनांक को ही अभियुक्तगण सूर्यभान, गोलू, पंढरी, निलेश, अंकित, गोलू उर्फ देवेंद्र, दिनेश को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी—7 लगायत प्रदर्श पी—13 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।
- 14 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा अन्य साक्षी एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाये। जबिक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- 15 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में पंजाबराव (अ.सा.—5), अजाबराव (अ.सा.—7), रमेश (अ.सा.—9), सुलकीबाई (अ.सा.—12) ने यह बताया है कि उनके सामने लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। हल्ला होने पर वे मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने सितोबा को घायल अवस्था में देखा था। इस प्रकार यद्यपि उक्त साक्षीगण ने अपने समक्ष घटना घटित न होना बताया है परंतु घटना के तत्काल पश्चात साक्षीगण मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने सितोबा को घायल अवस्था में देखा। अतः उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से अभियोजन को आंशिक समर्थन प्राप्त होता है।
- 16 सितोबा (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि अभियुक्तगण दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिये थे और तलवार, गुप्ती, लाठी लेकर घर के अंदर घुस गये थे और मारपीट करना शुरू कर दिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी से यह प्रश्न पूछे जाने पर कि आपको किसने मारा था तब साक्षी ने उत्तर दिया कि उसे तीनों आरोपी ने मारा था। फिर साक्षी ने कहा कि अभियुक्त सूर्यभान, दिनेश और चंद्रभान ने मारा था। सूर्यभान के हाथ में लकड़ी, नीलेश के हाथ में तलवार और गोलू उर्फ देवेंद्र के हाथ में गुप्ती थी। साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जान पर साक्षी ने बताया है कि सभी अभियुक्तगण ने एक के बाद एक सभी ने मिलकर मारपीट की थी।

17 संजय (अ.सा.—8) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने दरवाजे को लात मारा तब उसके पिताजी ने दरवाजा खोला तो सभी अभियुक्तगण ने पिताजी के उपर हमला कर दिया। जब उसने बचाया तो उसके साथ भी मारपीट की। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि रोजनामचा सान्हा लिखाते समय उसके द्वारा केवल अभियुक्त गोलू, पंढरी, सूर्यभान एवं नीलेश का नाम लिखाया गया था। अन्य के नाम इसलिए नहीं लिखाये गये थे क्योंकि वह उनको पहचानता नहीं था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके पिता सितोबा को अभियुक्त नीलेश ने मारा था और मारते हुए उसने स्वयं देखा था। पुनः से प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 08 में साक्षी ने यह बताया है कि 14—15 लोगों ने मारपीट की थी। कुछ लोग भाग गये थे। उसने 4—5 लोगों की पहचान की थी इसलिए उनके नाम लिखाये थे।

18 अभियोजन साक्षी / आहतगण सितोबा (अ.सा.—1), संगीता (अ.सा.—2), संगीता (अ.सा.—3) एवं संजय (अ.सा.—8) के कथनों में पर्याप्त विरोधामास है तथा उपर्युक्त सभी साक्षीगण ने घटना को अत्यन्त बढ़ाचढ़ाकर बताया है तथा अपने कथनों से घटना को गंभीर रूप देने का प्रयास किया है। सभी साक्षीगण ने यह बताया है कि अभियुक्तगण तलवार, गुप्ती, लाठी जैसे घातक हथियार लेकर आये थे। साक्षी संगीता (अ.सा.—2) ने तो यह बताया है कि उसकी कमर की हड्डी टूट गयी थी। जबिक आहतगण के चिकित्सकीय परीक्षण में आहत सितोबा को छोड़कर शेष सभी आहतगण को मामली चोटें आयी हैं। प्रकरण में अभियुक्तगण से मात्र लाठी जप्त हुई हैं। किसी भी घातक हथियार की जप्ती नहीं हुई है और यह अत्यन्त अस्वाभाविक है कि पांच या उससे ज्यादा व्यक्ति इतने घातक हथियारों के साथ प्रहार करें तब आहतगण को मात्र साधारण स्वरूप की उपहित कारित हो। यद्यि आहत सितोबा को गंभीर उपहित कारित हुई हैं परंतु वह भी सख्त एवं बोथरे हथियार से आना संभावित चिकित्सक साक्षी ने बताया है।

19 संजय (अ.सा.—8) जो कि फरियादी है। साक्षी ने यह बताया है कि लगभग 14—15 लोग मारपीट करने के लिए आये थे। मात्र 4—5 लोगों की पहचान कर अभियुक्त गोलू, पंढरी, सूर्यभान एवं नीलेश का नाम उसने रोजनामचा सान्हा में लिखाया था। किसी भी अभियोजन साक्षी के कथनों से अभियुक्त अंकुश के द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य नहीं है तथा शेष अभियुक्तगण सूर्यभान, गोलू उर्फ चंद्रभान, पंढरी, नीलेश जिनके द्वारा अभियोजन साक्षी सितोबा (अ.सा.—1), संगीता (अ.सा.—2), संगीता (अ.सा.—3) एवं संजय (अ.सा.—8) ने मारपीट के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य दिये हैं उनके संबंध में राजीनामा आवेदन अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। संजय (अ.सा.—8) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 07 में यह बताया है कि घटना घर के आंगन की है। नक्शा मौका (प्रदर्श पी—3) में भी घटना स्थल घर के सामने का आंगन है। यद्यपि आंगन में दरवाजा होने की बात साक्षीगण ने बतायी है परंतु ऐसी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि फरियादीगण का आंगन चारों ओर से बाउंड़ी से घररा हो। स्वयं साक्षी संजय ने यह

बताया है कि जैसे ही उसके पिता ने दरवाजा खोला था तो सभी अभियुक्तगण ने एकदम से मारपीट शुरू कर दी थी। सुलकीबाई (अ.सा.—11) ने भी यह बताया है कि घटना घर के आंगन की थी। रोजनामचा सान्हा के अवलोकन से भी यह प्रकट हो रहा है कि जैसे ही अभियुक्तगण ने दरवाजे पर लात मारा दरवाजा खुल गया और पिताजी सितोबा ने बाहर निकलकर देखा तो अभियुक्तगण ने मारपीट शुरू कर दी।

20 साक्षीगण सितोबा (अ.सा.—1), संगीता (अ.सा.—2), संगीता (अ.सा.—3) एवं संजय (अ.सा.—8) के कथनों में अत्यन्त विरोधाभास है। साक्षीगण ने अपने कथनों से घटना को गंभीर रूप देने का प्रयास किया है। अभियुक्त अंकुश के संबंध में कोई भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। स्वयं फरियादी संजय ने अपने कथनों में यह बताया है कि मारपीट 14—15 लोगों ने की थी परंतु उसने मात्र 4—5 लोगों को पहचाना था इसलिए रोजनामचा सान्हा में उनका नाम लेख कराया। इस प्रकार इस संबंध में भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि मौके पर कितने लोग उपस्थित थे। फरियादी एवं आहतगण के द्वारा अभियुक्त सूर्यभान, पंढरी, चंद्रभान, नीलेश एवं दिनेश से राजीनामा कर लिया गया है। अभियोजन साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। साथ ही अभियुक्त अंकुश के संबंध में कोई भी स्पष्ट साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। साथ ही ऐसी भी निश्चायक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि मौके पर कौन—कौन उपस्थित था। तब ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

21 अभियुक्त अंकित उर्फ अंकुश द्वारा फरियादीगण सितोबा, संगीता, संगीता एवं संजय को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त अंकित उर्फ अंकुश के विरुद्ध धारा 506 भाग—दो भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 09 का निराकरण

22 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण सूर्यभान, पंढरी, चंद्रभान, नीलेश, दिनेश एवं अंकित उर्फ अंकुश ने सार्वजनिक स्थल पर सामान्य उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर तद् द्वारा बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया एवं फरियादी संजय के आवासीय मकान में प्रवेश कर कारावास से दंडनीय अपराध कारित कर रात्रोप्रछन्न गृह अतिचार कारित किया तथा अभियुक्त अंकित उर्फ अंकुश ने फरियादी संजय, संगीता, संगीता के साथ मारपीट कर उन्हें

स्वेच्छया एवं आहत सितोबा की मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की तथा संत्रास कारित करने के आशय से फिरयादी संजय, सितोबा, संगीता व संगीता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण सूर्यभान, पंढरी, चंद्रभान, नीलेश, दिनेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 456 के आरोप से तथा अभियुक्त अंकित उर्फ अंकुश को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 456, 323, 325, 506 भाग—दो दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 23 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 24 प्रकरण में जप्तशुदा दो बांस की लकड़ी के संबंध में आदेश अभियुक्त गोलू उर्फ देवेंद्र के संबंध में निर्णय किये जाते समय किया जावेगा।
- 25 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 26 प्रकरण में अभियुक्त गोलू उर्फ देवेंद्र के विरूद्ध न्यायालय के आदेश दिनांक 10.08.2017 के अनुसार धारा 299 दं.प्र.सं. की कार्यवाही की गयी है। अतः प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर सुरक्षित रखने की टीप अंकित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)